जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 07.02.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 68/2024 धारा 147/149/323/307/336 भादवि व धारा 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट से संबंधित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.02.2024 को प्रथम पक्ष से 1.कमल पुत्र ओमप्रकाश 2.अर्जुन पुत्र ओमप्रकाश 3.ओमप्रकाश पुत्र नेतराम 4.कालू पुत्र रघुनाथ निवासीगण ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व द्वितीय पक्ष से 5.राजेश पुत्र रघुनाथ 6.आकाश पुत्र राजेश 7.विकाश उर्फ गोलू पुत्र राजेश 8.जयदेव पुत्र मुकन्दराम निवासीगण ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 9.सतीश पुत्र सुभाष निवासी ग्राम नरेली थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा एक – दूसरे के साथ लाठी / डन्डे से मारपीट करना व व एक-दूसरे पर ईंट पत्थर लेकर पथराव करना व जान से मारने की नियत से हमला करने के सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 68/2024 धारा 147/149/323/307/336 भादवि व धारा 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.02.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 68/2024 धारा 147/149/323/307/336 भादवि व धारा 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण 1.कमल पुत्र ओमप्रकाश 2.अर्जुन पुत्र ओमप्रकाश 3.ओमप्रकाश पुत्र नेतराम 4.राजेश पुत्र रघुनाथ 5.आकाश पुत्र राजेश निवासीगण ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशादेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट पत्थर के टुकड़े व एक आई 10 गाडी नं0 UK07V3290 (क्षतिग्रस्त) बरामद की गयी। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. कमल पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. अर्जुन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. ओमप्रकाश पुत्र नेतराम निवासी ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. राजेश पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. आकाश पुत्र राजेश निवासी ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक प्लास्टिक के कट्टे में ईट-पत्थर के टुकड़े

एक आई 10 कार नं0 UK07V3290

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

हे0का0 467 रामकुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

का0 754 मुकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

का0 1182 राजन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

का0 2048 इंशाद खान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 07.02.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने दो अभियुक्तों को चोरी की गयी नगदी व दो अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.11.2023 को वादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी मौ0 जाटान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा धर्मस्थल में रखे दान पात्र व उसमे रखे पैसे चोरी कर लिये है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1150/2023 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 1.शुभम पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी मौहल्ला डून्डापुरी झालू रोड अम्बे विहार कालोनी के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर 2.अमन उर्फ मुन्ना पुत्र धूम सिंह निवासी मौहल्ला टयूवबैल कॉलोनी नूरपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.02.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.शुभम पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी मौहल्ला डून्डापुरी झालू रोड अम्बे विहार कालोनी के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर 2.अमन उर्फ मुन्ना पुत्र धूम सिंह निवासी मौहल्ला टयूवबैल कॉलोनी नूरपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को 02 अवैध चाकू व 1200 रूपये की नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि व धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.शुभम पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी मौ0 डून्डापुरी झालू रोड अम्बे विहार कालोनी के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

2.अमन उर्फ मुन्ना पुत्र धूम सिंह निवासी मौ0 टयूवबैल कॉलोनी नूरपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

<u>बरामदगी –</u>

02 अवैध चाकू

1200 /- रूपये की नगदी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1. उ0नि0 श्री मीरहसन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री यशदेव शर्मा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. कां0 1198 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. कां0 571 अंकुर यादव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद दिनॉक 07.02.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 55/24 धारा 379 भादवि से संबंधित चोर को चोरी गये एक पर्स व 4,200 रूपये सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 06.02.2024 को वादी शाहनवाज पुत्र श्री शाहिद नि0 मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार चोर द्वारा वादी की पत्नी से हेण्ड बैग चोरी कर लिया गया जिसमें कुछ रूपये व अन्य कागजात इत्यादि सामान था। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 55/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.02.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 55/24 धारा 379 भादवि से संबंधित अभियुक्त नवीन पुत्र नरेश निवासी मौ0 गौतमनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये पर्स व कुल 4,200 रूपये बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.नवीन पुत्र नरेश नि0 मौ0 गौतमनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1.एक हैण्ड पर्स

2.कुल 4200 रूपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2–हे0का0 459 प्रवीण थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3–का0 2029 अंशुल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात   दिनाँक 07.02.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने 39/2024 धारा 354ख/504/506 भादवि व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.02.2024 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्त फईम पुत्र रियासत उर्फ लाला निवासी ग्राम चन्दनवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेडछाड की गई तथा गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 39/2024 धारा 354(ख)/504/506 भादवि व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फईम पुत्र रियासत उर्फ लाला निवासी ग्राम चन्दनवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

फईम पुत्र रियासत उर्फ लाला निवासी ग्राम चन्दनवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नी0 श्रीपाल सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 633 रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

3.हे0का0 500 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना स्योहारा **दिनांक 07.02.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने 03 अभियुक्तों को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.02.2024 को वादी श्री नरेश कुमार पुत्र चन्द्र सिंह निवासी कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि वादी के धर्मकांटे पर रखे 5 क्विटंल लोहे के बाट व एक लोहे की प्लेट आदि अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ली गई है। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 50/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1. जावेद पुत्र सुलेमान नि0 मौ0 जोडियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2. जमशेद पुत्र अख्तर नि0 मौ0 फैजुल्लापुर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 3.सैफ अली पुत्र सुल्तान अहमद नि0 ग्राम सफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आए।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.02.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 50/2024 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्त 1.जावेद पुत्र सुलेमान नि0 मौ0 मुस्लिम चौधरियान कस्वा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.जमशेद पुत्र अख्तर नि0 मौ0 फैजुल्लापुर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 3.सैफ अली पुत्र सुल्तान अहमद नि0 ग्राम सफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी के 490 कि0ग्रा0 लोहे के बाट, एक गंडासा व एक कटर तथा घटना में प्रयुक्त ऑटो सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृध्दि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. जावेद पुत्र सुलेमान नि0 मौ0 मुस्लिम चौधरियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. जमशेद पुत्र अख्तर नि0 मौ0 फैजुल्लापुर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. सैफ अली पुत्र सुल्तान अहमद नि0 ग्राम सफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगीः-

1. 490 कि0ग्रा0 लोहे के बाट
2. एक कटर
3. एक लोहे का गंडासा
4. ऑटो रिक्शा बिना नम्बर प्लेट (घटना में प्रयुक्त)

अपराधिक इतिहास जमशेद उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 223/2006 धारा 380/457/411 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 667/2006 धारा 398/401 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 727/2006 धारा 307 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 728/2006 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0 955/2006 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
6. मु0अ0स0 50/2024 धारा 379 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

अपराधिक इतिहास सैफ अली उपरोक्तः

1.मु0अ0स0 703/2021 धारा 323/354/504/506 भादवि थाना स्योहारा जिला बिजनौर
2. मु0अ0स0 50/2024 धारा 379 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री कृपाल सिह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री यशपाल मलिक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. हे0का0 137 अस्कर खां थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. हे0का0 678 सतीश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5. का0 1058 अमित कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
6. का0 1999 सतपाल सिह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांकः- 07.02.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	मंडावर	रोहित पुत्र धर्मवीर निवासी छकडा थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2.	मंडावर	धर्मवीर पुत्र बलवन्त निवासी छकडा थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3.	मंडावर	महेन्द्र पुत्र लाखन सिंह निवासी ईनामपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4.	मंडावर	मनोज पुत्र महेन्द्र निवासी ईनामपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर
5.	स्योहारा	अरविन्द पुत्र खेम सिंह निवासी ग्राम रूपपुर शाहपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर,

थाना मंडावर

थाना मंडावर

थाना स्योहारा

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 07.02.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा छेडछाड के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:–

दिनांक 03.02.2022 को वादी द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त हरि सिंह पुत्र राजू सरदार निवासी मौ0 खेडा कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री से छेडछाड की गयी। तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 53/22 धारा 354-A भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम बनाम हरि सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 07.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 53/22 धारा 354-A भादवि के अभियुक्त अभियुक्त हरि सिंह पुत्र राजू सरदार निवासी मौ0 खेडा कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 03 वर्ष का कठोर कारावास व ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की 50 % धनराशि पीडिता को बतौर प्रतिकर दी जायेगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

हरि सिंह पुत्र राजू सरदार निवासी मौ0 खेडा कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 07.02.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 52/2024 धारा 302/201/120बी भादवि में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.02.2024 को वादी कोमल सिंह पुत्र शिवचरन सिंह निवासी ग्राम हकीमपुर मेघा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि उसकी भाभी कमलेश ने प्रेम प्रसंग का विरोध करने को लेकर अपने प्रेमी मनोज पुत्र राजपाल निवासी ग्राम तिबडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर व उसके साथी विकास निवासी मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के साथ मिलकर वादी के भाई महेन्द्र की हत्या कर शव को कहीं छिपा दिया। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 52/2024 धारा 302/201 भादवि बनाम कमलेश, मनोज व विकास उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही विवरण:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 52/2024 धारा 302/201/120बी भादवि में वांछित अभियुक्ता कमलेश पत्नी महेन्द्र निवासी ग्राम हकीमपुर मेघा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोटः- थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मनोज पुत्र राजपाल निवासी ग्राम तिबडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को आलाकत्ल सहित गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

कमलेश पत्नी महेन्द्र निवासी ग्राम हकीमपुर मेघा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. अ0नि0 श्री अता मोहम्मद थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 श्री गंगाधर सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
4. महिला निरीक्षक रीता कुमारी थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
5. म0का0 324 प्रवीणा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
6. हे0का0 448 राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
7. का0 752 रविमान थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर दिनांक – 07.02.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 45/2024 धारा 147/148/307/323/324/504/506 भादवि से संबंधित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.02.2024 को वादी श्री वसीम सैफी पुत्र जाहिद हुसैन निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 06.02.2024 की रात्रि में अभियुक्तगण 1.इशरत अली उर्फ भूरे पुत्र पीरबख्श 2.सद्दाम पुत्र पीरबख्श 3.शहजाद पुत्र पीरबख्श 4.दिलशाद पुत्र पीरबख्श 5.नौशाद पुत्र पीरबख्श निवासीगण मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा कुत्ता भौंकने को लेकर वादी तथा वादी के भाई जुबैर के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की गयी, जिससे वादी व वादी के भाई को गम्भीर चोटें आयी। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 147/148/307/323/324/504/506 भादवि बनाम इशरत अली उर्फ भूरे आदि कुल 05 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 45/2024 धारा 147/148/307/323/504/506 भादवि से संबंधित 05 अभियुक्तगण 1.इशरत अली उर्फ भूरे 2.सद्दाम 3.शहजाद 4.दिलशाद 5.नौशाद पुत्रगण पीरबख्श निवासीगण मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.इशरत अली उर्फ भूरे पुत्र पीरबख्श निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.सद्दाम पुत्र पीरबख्श निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3.शहजाद पुत्र पीरबख्श निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

4.दिलशाद पुत्र पीरबख्श निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

5.नौशाद पुत्र पीरबख्श निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री मौ0 यासीन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.कां0 2419 विकास कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3.कां0 1649 अमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

4.हो0गा0 1308 जोगेन्द्र सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

5.हो0गा0 1327 मनफूल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना को0 शहर **दिनाँक 07.02.2024**

थाना को0 शहर पुलिस ने दो अभियुक्तों को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त आरिफ पुत्र इशाक निवासी ग्राम किशनपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व अभियुक्त तस्लीम पुत्र बुन्दु निवासी ग्राम मुढाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को दो अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 शहर पर मु0अ0सं0 112/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

1.आरिफ पुत्र इशाक निवासी ग्राम किशनपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2.तस्लीम पुत्र बुन्दु निवासी ग्राम मुढाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

दो अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.हे0का0 402 धर्मवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2.हे0का0 850 नीरज कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3.का0 632 सर्वेश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।